न्यायालय भरण पोषण अधिकरण
उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला–टोंक
पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या–61/2018
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक :–08.08.2018

उनवान

कल्याण पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक

आवेदक

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2. मुकेश पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक

प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा–05 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

अधिवक्ता आवेदक– श्री एन.के. शर्मा
अधिवक्ता प्रतिपक्षी न0–1:– श्री राजाराम चौधरी

निर्णय दिनांक– 28.08.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक वृद्ध व बीमारग्रस्त आदमी हैं। जो किसी भी प्रकार की आय अर्जित करने असमर्थ हैं। आवेदक के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं हैं। आवेदक स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तथा आवेदक की पत्नि का पूर्व में देहान्त हो चुका हैं। आवेदक के दो पुत्र बनवारी व मुकेश हैं। आवेदक ने काफी मेहनत मजदूरी करके अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करके अपने पुत्रों को पढ़ाया लिखाया जिसके कारण प्रार्थी के बड़े पुत्र प्रतिपक्षी न0 1 बनवारी का 4–5 साल पूर्व राजकीय सेवा में अध्यापक के पद

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रतिपक्षी न0–1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (5) का आवेदक के दुसरे पुत्र मुकेश को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने का निवेदन किया जिसकों स्वीकार किया जाकर आवेदक के पुत्र मुकेश को प्रतिपक्षी न0–2 के रूप में पक्षकार बनाया गया व प्रतिपक्षी द्वारा अपने जवाब में आवेदक द्वारा अपनी माता नाथी देवी की हत्या करना का आरोप लगाया व उसकी जॉच करवाने का निवेदन किया। जिसकी जॉच हेतु दिनांक 09.10.2018 को थानाधिकारी पीपलू को तहरीर लिखी गई। थानाधिकारी पीपलू द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक–22.05.2019 को पेश की। जिसमें थानाधिकारी पीपलू द्वारा विस्तृत रूप से जॉच करने पर पाया कि आवेदक कल्याण बैरवा निवासी काशीपुरा के 23–24 साल पूर्व जयपुर से उसकी पत्नि अचानक ही कहीं चली गई। उस समय प्रतिपक्षी बनवारीलाल, मुकेश व पुत्री द्वारक्या थी। जो आवेदक कल्याण बैरवा के पास ही रहते थे। जिसके गुम होने पर कल्याण बैरवा व ग्राम के व्यक्तियों ने नाथी देवी की काफी तलाश किया परन्तु नाथी देवी का कोई पता नहीं चल सका। आवेदक कल्याण बैरवा ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया व बनवारी व द्वारक्या की शादी की वर्तमान में बनवारी अध्यापक हैं। आवेदक कल्याण बैरवा की उम्र 63 साल से ऊपर से हैं जो वृद्ध हो गया हैं कि बनवारी मास्टर इससे खर्चा मांगता हैं। अतः अब तक की जॉच से यह स्पष्ठ हैं कि पारिवारिक लड़ाई का होना व पिता आवेदक कल्याण बैरवा द्वारा खर्चा भरण पोषण मांगने पर प्रतिपक्षी बनवारी द्वारा अपनी माता नाथी देवी की हत्या का आरोप लगाकर दबाव बनाकर प्रार्थना पत्र को वापस उठवाना चाहता हैं तथा नाथी देवी बैरवा की कल्याण बैरवा व अन्य के द्वारा हत्या करना नहीं पाया गया हैं।

प्रतिपक्षी न0–1 ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (6) भरण पोषण अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रतिपक्षी/प्रार्थी के साथ अन्याय पूर्ण कृत्य करने एवं अत्यन्त पारिवारिक विषय विचाराधीन होने के कारण आवेदन के विचारण से पूर्व सुलह अधिकारी नियुक्त कर विधि सम्मत कारवाई करने व वास्तविक तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता आवेदक द्वारा पेश किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री जगदीश प्रसाद स्वामी भू0अभिलेख निरीक्षक, राणोंली को "सुलह अधिकारी" नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि आप दोनो पक्षों को समझाकर अपने कर्त्तव्य व दायित्व से अवगत करावें तथा दोनों पक्षो में समझाईश करावें अन्यथा जो स्थिती हो उससे न्यायालय को अवगत करावें। सुलह अधिकारी ने न्यायालय हाजा में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निम्न तथ्य पेश किये। सुलह अधिकारी ने उभयपक्ष को उपस्थित होने के लिए कहा तथा आवेदक व प्रतिपक्षी के बीच में काफी समझाईश की गई। मूल रूप से प्रकरण में आवेदक कल्याण बैरवा द्वारा भरण पोषण हेतु आर्थिक मदद की मांग की गई आवेदक उम्र के हिसाब से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी भी हैं तथा आवेदक के पास आय का कोई स्त्रोत भी नहीं हैं। सुलह अधिकारी के द्वारा बहुत समझाईश करने के पश्चात भी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पर चयन हो गया तथा छोटा पुत्र पढ़ नहीं सका जिसके कारण बेरोजगार हैं। आवेदक ने अन्य लोगो से व बैंक से ऋण लेकर प्रतिपक्षी न0–1 की शादी की। शादी के बाद अप्रार्थी अपनी पत्नि के साथ पीपलू में रहने लग गया तथा प्रार्थी को गॉव में अकेला छोड़ दिया व अप्रार्थी व उसकी पत्नि ने कभी भी आवेदक की सेवा सुश्रूषा नहीं की व आवेदक को हारी बीमारी में भी खर्चा नहीं दिया। आवेदक को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन व अन्य प्रकार की सुविधायें मिलती थी लेकिन प्रतिपक्षी न0–1 का राजकीय सेवा में चयन हो जाने के कारण आवेदक की पेंशन बंद कर दी गई तथा प्रतिपक्षी ने भी आवेदक पिता की सेवा करना व खर्चा देना बंद कर दिया तथा प्रतिपक्षी न0–1 अपनी पत्नि के साथ मिलकर आवेदक के साथ आये दिन गाली गलौच व मारपीट करते हैं तथा प्रतिपक्षी न0–1 ने अपनी पत्नि के साथ मिलकर आवेदक के घर का सामान दिनांक 10.06.2018 को पीपलू ले गया व आवेदक को बेसहारा करके आवेदक को अकेला छोड़ दिया गया। इस कारण आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/आवेदक को 8000 रू प्रतिमाह भरण पोषण के दिलाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई प्रतिपक्षी न0–1 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय अधिकरण मे प्रस्तुत आवेदन तथ्यों दुर्व्यवदेशन एवं तथ्यों की त्रुटी के साथ गलत पेश किया हैं तथा गलत रूप से माननीय अधिकरण की सहानुभूति प्राप्त करने का अपात्र होते हुए भी पात्रता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आवेदन पेश किया हैं। जो चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी कल्याण बैरवा जो प्रतिपक्षी का पिता हैं का आचरण सदैव संदेहास्पद हैं तथा उसकी स्वयं की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता हैं जिससे सालाना लगभग 3–4 लाख रूपये आय प्राप्त होती हैं तथा प्रार्थी ने आवेदन में बहुत चतुराई से सम्पूर्ण तथ्य छुपाते हुए माननीय अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। आवेदक कल्याण बैरवा अपने बेटे बहु पर शुरू से नाजायज तरीको से अत्याचार कर रहा हैं। उनको गॉव में रहने नहीं देता हैं और पुत्र वधु पर गंदी नजरें व दुष्कर्म की नीयत रखने वाला चरित्रहीन और सामाजिक इंसान हैं और स्वयं के पुत्र और पौत्र से आवेदक का कोई सामाजिक संबंध शेष नहीं बचा हैं तथा आवेदक की पत्नि अर्थात प्रतिपक्षी की माता नाथी देवी का स्वर्गवास नहीं हुआ हैं अपितु स्वयं आवेदक द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिपक्षी की माता की हत्या अथवा कहीं गायब कर दिया हैं क्योंकि आवेदक स्वयं एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। जिसकी जॉच पुलिस थाना पीपलू से करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। आवेदक ने प्रतिपक्षी का कभी भी लालन पालन नहीं किया तथा स्वयं द्वारा अर्जित आय से भरण पोषण व पढ़ाई लिखाई की। आवेदक के एक पुत्र मुकेश भी हैं जिसको भी पक्षकार बनाया जावें। आवेदक को किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नहीं हैं। इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रतिपक्षी बनवारी बैरवा द्वारा किसी भी प्रकार से अपने पिता के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की और न ही परोक्ष अपरोक्ष रूप में किसी भी प्रकार की सहायता दी जाने में रूचि प्रकट की। बल्कि लिखित वार्ता के अनुसार अपने पिता के प्रति कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया हैं, जो चारित्रिक दुर्बलता का प्रतीक हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों, थानाधिकारी पीपलू द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट, सुलह अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुलह रिपोर्ट तथा शपथ पत्र आदि का गहनता से अध्ययन किया गया। जिससे यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी/आवेदक वृद्ध व्यक्ति है जो प्रतिपक्षीगण का पिता हैं। जो अक्सर बीमार रहता हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अस्पताल की पर्चीयों से स्पष्ट हैं तथा प्रार्थी वृद्ध व बीमार होने के कारण अपनी आय अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। जब माता–पिता वृद्ध हो जाते हैं तो पुत्रों का यह विधिक दायित्व हैं कि वे अपने माता–पिता की सेवा सुश्रूषा करें व उनका भरण पोषण करें, उनको बेसहारा नही करें। प्रतिपक्षी न0 1 राजकीय सेवा में हैं फिर भी अपने वृद्ध पिता का भरण पोषण नहीं कर रहा हैं। समस्त जॉच रिपोर्ट व दस्तावेजों से यह स्पष्ट हैं कि प्रतिपक्षीगण द्वारा अपने पिता आवेदक का भरण पोषण नहीं किया जा रहा हैं व गलत आचरण का आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा हैं। जो न्याय संगत नहीं हैं। आवेदक बीमार वृद्ध व्यक्ति होने के कारण व अपनी आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। इस कारण आवेदक को प्रतिपक्षीगण से भरण पोषण दिलवाया जाना न्यायोचित हैं।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को अपने पिता को भरण पोषण दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं, प्रतिपक्षी न0–1 बनवारी जो राजकीय सेवा में हैं वह अपने पिता आवेदक को 4000/– रूपये अक्षरे चार हजार रूपये प्रतिमाह तथा प्रतिपक्षी न0–2 मुकेश जो मजदूर पेशा व्यक्ति हैं अपने पिता आवेदक को 3000/– रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये प्रतिमाह पृथक–पृथक रूप से प्रति माह आवेदक के खाता संख्या 12880100006950 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीपलू में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (टोंक) पीपलू

Scanned with CamScanner